पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: registrar@shekhauni.ac.in

क्रमांक दिनांक:

विद्या परिषद की 24वीं बैठक 22.06.2026 का कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 24वीं बैठक दिनांक 22.06.2026 को विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11:15 बजे आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहें:–

1.	प्रोफेसर (डॉ.) अनिल कुमार राय	कुलगुरू महोदय	अध्यक्ष
2.	मुकेश कुमार शर्मा, उच्च शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान	सदस्य (ऑनलाईन)
3	प्रोफेसर अभिलाषा आल्हा	आचार्य, गृह विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर। (राजभवन द्वारा नामित)	सदस्य
4	डॉ. राजेन्द्र सिंह	संकायाध्यक्ष, कला संकाय	सदस्य
5	डॉ. सुशीला चौधरी	संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	डॉ. मंजु लाडला,	संकायाध्यक्ष, समाजविज्ञान संकाय	सदस्य
7	डॉ. राजेन्द्र कुमार	राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य (ऑनलाईन)
8	डॉ. नगेन्द्र नाथावत	राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य (ऑनलाईन)
9	प्रोफेसर देवी शंकर शर्मा	राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10	डॉ. सुरेद्र डी. सोनी	राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
11	डॉ. मनोज	संकायाध्यक्ष, शिक्षा	सदस्य
12.	कुलसचिव	पदेन	सदस्य सचिव

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व कुलगुरू महोदय ने सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत मदों (एजेण्डा) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये:–

एजेण्डा संख्या 1: विद्या परिषद् की 23वीं बैठक दिनांक 24.04.2026 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णय:– विद्या परिषद् की 23वीं बैठक दिनांक 24.04.2026 के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा संख्या 11 एवं 32 को छोड़कर समस्त एजेण्डों का अनुमोदन किया गया तथा एजेण्डा संख्या 11 एवं 32 के संबंध में निम्नानुसार निर्णय किया गया:–

एजेण्डा संख्या 11 के संबंध में पुनः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की ई–बुक लाईब्रेरी का लिंक राजकीय और निजी महाविद्यालयों को सत्र 2027–28 से सम्बद्धता शुल्क के साथ रूपये 3000 शुल्क लिया जाकर लिंक उपलब्ध कराने एवं सत्र 2026–27 से महाविद्यालयों को एक आग्रह पत्र लिखा जाकर उनकी सहमति के अनुसार लिंक निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय में जमा कराने के उपरांत उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया, तथा उक्त के संबंध में सभी महाविद्यालयों को एक ऑनलाईन डेमो दिये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 32 के संबंध में पुनः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में संचालित स्व–वित्त पोषित पाठ्यक्रमों (SFS Courses) के प्रवेश शुल्क, संचालन की आवश्यकता, औचित्य एवं संभावित व्यय के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत विस्तृत समीक्षा करने हेतु सर्वसम्मति से एक विषय–विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।

यह समिति राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में उक्त समस्त बिंदुओं का तार्किक मूल्यांकन कर अपनी स्पष्ट अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर ही अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

गठित विषय–विशेषज्ञ समिति का विवरण निम्नानुसार है:–

(i) डॉ. सुरेन्द्र डी. सोनी, चूरू।
(ii) डॉ. देवी शंकर शर्मा, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय, बबाई, झुन्झुनू।
(iii) डॉ. भंवरलाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय।
(iv) डॉ. मंजु लाडला, संकायाध्यक्ष, समाजविज्ञान संकाय।
(v) डॉ. सुशीला चौधरी, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
(vi) डॉ. रामचरण मीणा, सदस्य सचिव।

एजेण्डा संख्या 2: विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 26.05.2026 को आयोजित संकायाध्यक्षों (डीन) की बैठक के कार्यवृत की अनुपालना का अनुमोदन।

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों का संकाय निर्धारण विद्यार्थी के स्नातक स्तर संकाय के आधार पर स्नातकोत्तर स्तर में लिये गए प्रवेश के अनुसार Degrees एवं Diploma का संकाय निर्धारण करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 3: अध्यापक कल्याण कोष (Teachers Welfare Fund-TWF) से व्यय संबंधी प्रावधान पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णय: सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय अध्यापक कल्याण कोष (Teachers Welfare Fund-TWF) से व्यय के संबंध में विश्वविद्यालय में एक स्थायी वेलफेयर कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 4: दिनांक 28.05.2026 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक में परीक्षा फॉर्म प्रणाली के दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णय: दिनांक 28.05.2026 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक में परीक्षा फॉर्म प्रणाली के दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्या 5: राजभवन के पत्रांक संख्या एफ.1(38) आरबी/2015/6462 दिनांक 21 अगस्त 2017 के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष परीक्षा शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्वि किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णय:– राजभवन के पत्रांक संख्या एफ.1(38) आरबी/2015/6462 दिनांक 21 अगस्त 2017 के दिशा–निर्देशों के अनुसार सर्वसम्मति से सत्र 2027–28 से प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्वि किये जाने पर विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा अत्यंत गहनता एवं संवेदनशीलता के साथ विचार–विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रशासनिक, अकादमिक एवं वित्तीय विधिक तथ्यों को रिकॉर्ड पर लिया गया:–

1 छात्र–हितैषी निर्णय: विगत वर्षों में कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान तत्कालीन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को अनावश्यक वित्तीय भार से बचाने तथा लोक–कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाते हुए परीक्षा शुल्क में विशेष कटौती/शिथिलता प्रदान की गई थी।

2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) का प्रभाव: विश्वविद्यालय क्षेत्र में एनईपी–2020 प्रभावी होने के फलस्वरूप वार्षिक परीक्षा प्रणाली के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। इसके कारण विद्यार्थियों पर वर्ष में दो बार परीक्षा फॉर्म भरने और दो बार परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का दोहरा वित्तीय भार आया। तत्समय विद्यार्थियों की न्यायसंगत मांग और हितों को सर्वोपरि रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक आंतरिक समिति के गठन के पश्चात शुल्क संरचना को संशोधित कर पुनः कम किया गया था।

3 विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति: विश्वविद्यालय को वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अथवा राज्य सरकार से कोई आवर्ती या गैर–आवर्ती वित्तीय अनुदान (Grants) प्राप्त नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर, एनईपी–2020 के अंतर्गत दोहरी परीक्षा प्रणाली के कारण परीक्षा फॉर्म पोर्टल, उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन, प्रश्नपत्र निर्माण और परीक्षा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित प्रशासनिक व परिचालन व्यय (Operational Costs) दोगुने से अधिक बढ़ गया है। केवल आंतरिक वित्तीय स्रोतों पर निर्भरता के कारण

विश्वविद्यालय की राजकोषीय स्थिति एवं संस्था के सुचारू संचालन और अकादमिक मानकों को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय की आय में तर्कसंगत संवर्द्धन किया जाना अपरिहार्य है।

सर्वसम्मत निर्णय / संकल्प

विद्या परिषद द्वारा छात्र–कल्याण (Student Welfare) के प्रति संवेदनशीलता और विश्वविद्यालय की राजकोषीय आवश्यकताओं व प्रशासनिक व्यय के मध्य एक समतावादी और न्यायसंगत (Equitable & Just) संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से दस प्रतिशत वृद्धि की अनुशंसा की जाती है।

एजेण्डा संख्या 6: विश्वविद्यालय के स्वीकृत 7 शोध केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, विकास एवं पंजीकृत शोधार्थियों से प्राप्त शुल्क के आधार पर संसाधन विकसित किए जाने के संबंध में चर्चा एवं निर्णय।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के स्वीकृत 7 शोध केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, विकास एवं पंजीकृत शोधार्थियों से प्राप्त शुल्क के आधार पर संसाधन विकसित किए जाने हेतु निर्णय किया गया।

एजेण्डा संख्या 7: RET– 2026 की चयन प्रक्रिया के निर्धारण एवम् मापदंड तय करने हेतु आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

निर्णयः RET– 2026 की चयन प्रक्रिया के निर्धारण एवम् मापदंड तय करने हेतु आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया तथा राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 26(6)शिक्षा ग्रुप–4/2023–02622– 4081439 दिनांक 09.06.2026 के अनुसार पत्र व्यवहार जारी रखते हुए RET– 2026 की चयन प्रक्रिया जारी रखने का निर्णय किया गया।

एजेण्डा संख्या 8: सत्र 2026–27 में विश्वविद्यालय अध्ययन विभाग द्वारा शुरू किये जाने वाले UG/PG स्तर के नवीन पाठ्यक्रम एवं इनकी फीस के निर्धारण पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णयः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि SFS पाठ्यक्रम के प्रवेश शुल्क एवं आय–व्यय के संबंध में गठन किये जाने वाली समिति से ही निर्णय करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 9: विश्वविद्यालय परिसर में आगामी सत्र 2026–27 में अध्यापन कार्य हेतु सहबद्ध संकाय (Adjunct Faculty) पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय परिसर में आगामी सत्र 2026–27 में अध्यापन कार्य हेतु सहबद्ध संकाय (Adjunct Faculty) हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर प्रति सेमेस्टर न्यूनतम 15 दिवस का अंतराल देकर नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–10:– विश्वविद्यालय परिसर में आगामी सत्र 2026–27 में अध्यापन कार्य हेतु विद्या संबल फैकल्टी पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय परिसर में आगामी सत्र 2026–27 में विद्या संबल फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर राज्य सरकार/वित्त विभाग/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान से प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–11:– अन्य बिन्दु/टेबल एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति अनुसार।

टेबल एजेण्डा संख्या 1:– विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 27.04.2026 को आयोजित अध्ययन मण्डल (शिक्षा संकाय) की बैठक के कार्यवृत की अनुपालना का अनुमोदन।

निर्णयः– विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 27.04.2026 को आयोजित अध्ययन मण्डल (शिक्षा संकाय) की बैठक के कार्यवृत की अनुपालना का अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेण्डा संख्या 2:– विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 10.06.2026 को आयोजित संकायाध्यक्षों की बैठक के कार्यवृत की अनुपालना का अनुमोदन।

निर्णयः विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 10.06.2026 को आयोजित संकायाध्यक्षों की बैठक के कार्यवृत की अनुपालना का अनुमोदन किया गया एवं **एजेण्डा संख्या 02** के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बाह्य परीक्षकों (External Examiners) को छात्रों के साथ Geo-Tag फोटो के साथ बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान करने का निर्णय किया गया।

टेबल एजेण्डा संख्या 3:– विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 19.06.2026 को आयोजित बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन (BOI) की बैठक के कार्यवृत की अनुपालना का अनुमोदन।

निर्णयः विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 19.06.2026 को आयोजित बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन (BOI) की बैठक के कार्यवृत की अनुपालना का अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेण्डा संख्या 4:– शोध छात्रों के शोध केंद्र तथा उनके शोध निर्देशक के महाविद्यालय के अलग–अलग होनें की स्थिति में नीतिगत नियम निर्धारण के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः एकेडमिक कौंसिल द्वारा शोधार्थियों के शैक्षणिक हित और शोध की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए, इस विषय पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। कौंसिल सर्वसम्मति से यह अनुशंसा (Recommend) करती है कि यदि किसी शोधार्थी का शोध केंद्र तथा उसके शोध निर्देशक (Research Guide) का मूल महाविद्यालय/संस्थान अलग–अलग हैं, तो निम्नलिखित नीतिगत दिशा–निर्देश प्रभावी होंगे:–

संसाधन एवं अवसंरचना का दायित्वः शोधार्थी को शोध कार्य हेतु आवश्यक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, तकनीकी उपकरण एवं अन्य मूलभूत अनुसंधान सुविधाएं (Research Infrastructure) उपलब्ध कराने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबद्ध शोध केंद्र (Research Centre) का होगा।

शैक्षणिक मार्गदर्शन का दायित्वः शोधार्थी को शोध विषय की दिशा, पद्धति और गुणवत्ता के संबंध में आवश्यक शैक्षणिक विमर्श एवं दिशा–निर्देश प्रदान करने का अन्य दायित्व शोध निर्देशक (Research Guide) का होगा।

प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रक्रियाएं: शोधार्थी की छात्रवृत्ति/फेलोशिप (Scholarship/Fellowship), प्रगति रिपोर्ट (Progress Report), उपस्थिति प्रमाणीकरण एवं अन्य समस्त शोध संबंधी प्रशासनिक औपचारिकताएं शोध केंद्र द्वारा ही पूर्ण की जाएंगी।

अनिवार्य अनुमोदनः यह अधिदेशित (Mandatory) किया जाता है कि शोध केंद्र द्वारा शोधार्थी से जुड़ी किसी भी प्रशासनिक या वित्तीय फाइल को आगे बढ़ाने से पूर्व, संबंधित शोध निर्देशक (Research Guide) की लिखित संस्तुति/अनुशंसा (Written Recommendation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना शोध निर्देशक की सहमति के शोध केंद्र द्वारा लिया गया कोई भी प्रशासनिक निर्णय मान्य नहीं होगा।

कुलगुरू/सिंडिकेट को प्रेषण हेतुः

"उपरोक्त नीतिगत नियमों को विश्वविद्यालय के अध्यादेश (Ordinance/Statutes) में आवश्यक संशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू करने हेतु सिंडिकेट/प्रबंध मंडल (Board of Management) को अनुशंसित किया जाता है।"

टेबल एजेण्डा संख्या 5:– "संबद्ध महाविद्यालयों के रिसर्च सेंटरों को संसाधन–युक्त बनाने तथा शोधार्थियों से प्राप्त शुल्क को इस कार्य में सदुपयोग हेतु नीतिगत दिशानिर्देश (Guideline) तैयार करने के प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः संबद्ध महाविद्यालयों के रिसर्च सेंटरों को संसाधन–युक्त और आधुनिक बनाने के लिए शोधार्थियों से प्राप्त शुल्क का सही और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना।

नीति के प्रमुख बिंदु

संसाधनों का विकासः शोध छात्रों द्वारा संबंधित रिसर्च सेंटर में जो शुल्क जमा कराया जाता है, उस राशि का उपयोग विशेष रूप से उसी रिसर्च सेंटर की शोध सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरी और अन्य तकनीकी संसाधनों को विकसित करने के लिए किया जाएगा।

आय–व्यय का पूर्ण विवरण: प्रत्येक रिसर्च सेंटर को शोध शुल्क से होने वाली कुल आय और उस राशि में से किए गए व्यय (प्रतिशत के आधार पर) का एक स्पष्ट और पूर्ण विवरण तैयार करना होगा। यह वित्तीय विवरण नियमित रूप से विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना अनिवार्य होगा।

शोध निर्देशकों की रिपोर्ट: वित्तीय विवरण के साथ–साथ, रिसर्च सेंटर को अपने यहाँ कार्यरत शोध निर्देशकों उनकी कार्यप्रणाली और शोधार्थियों की प्रगति से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट भी विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

टेबल एजेण्डा संख्या 6:– अधिसूचना क्रमांक 13627 दिनांक 19 जून, 2026 के संदर्भ में वर्ष 2016 से 2024 तक की लंबित उपाधियों (Degrees) एवं अंकतालिकाओं (Marksheets) के भौतिक सत्यापन, जवाबदेही निर्धारण तथा सुरक्षा मैकेनिज्म स्थापना के संबंध में उक्त समस्या के स्थायी निवारण हेतु निम्नलिखित बिंदू विद्या परिषद के समक्ष विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है:–

(a) **भौतिक सत्यापन**: लंबित उपाधियों (Degrees) और अंकतालिकाओं (Marksheets) की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर विशेष भौतिक सत्यापन अभियान चलाने पर विचार एवं निर्णय।

(b) **जवाबदेही निर्धारण**: संदेहास्पद स्थिति एवं वितरण में हुए विलंब के लिए जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही तय करने के नियम बनाने पर विचार एवं निर्णय।

(c) **सुरक्षा मैकेनिज्म**: भविष्य में विसंगतियों और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पुख्ता सुरक्षा मैकेनिज्म स्थापित करने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णय:– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि विद्यार्थियों द्वारा काफी समय बाद पुनः Degree और Marksheet मांगी जाति है तो डुप्लीकेट ही जारी की जाये तथा विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालयों को Degree और Marksheet भेजी जाती है तो विश्वविद्यालय संबंधित से पावती रसीद प्राप्त कर अपने रिकॉर्ड में रखे तथा साथ ही एक रजिस्टर में प्रतिवर्ष की उपाधियों का रिकॉर्ड भी बनाऐ रखने का निर्णय किया गया।

कुलसचिव